न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः– 21/अ–59/2017–18/242 बैतूल दिनांक 05/02/18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 17 रा. नि. मं. आमला तहसील आमला जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार आमला के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम लालावाड़ी तहसील आमला मे स्थित खसरा नंबर 547, रकबा 0.158 हेक्टेयर पर, खसरा नंबर 491/1 रकबा 10.128 हेक्टेयर में से 0.100 हेक्टेयर पर, खसरा नंबर 371/1 रकबा 1.360 हेक्टेयर में से 0.425 हेक्टेयर, खसरा नंबर 367/1 रकबा 0.178 हेक्टेयर में से 0.081 हेक्टेयर भूमि पर तथा खसरा नंबर 496/2 रकबा 1.471 हेक्टेयर में से 0.290 हेक्टेयर पर ग्राम के 28 परिवार मकान बनाकर निवासरत् है। इन्हें आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए उक्त भूमि का मद परिवर्तन किया जाना आवश्यक है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आमला द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– मौजा लालावाड़ी तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 547,रकबा 0.158 हेक्टेयर, खसरा नंबर 491/1 रकबा 10.218 हेक्टेयर में से 0.100 हेक्टेयर, खसरा नंबर 371/1 रकबा 1.360 हेक्टेयर में से 0.425 हेक्टेयर, खसरा नंबर 367/1 रकबा 0.178 हेक्टेयर में से 0.081 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 496/2 रकबा 1.417 हेक्टेयर में से 0.290 हेक्टेयर, भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा लालावाड़ी तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 547, 491/1, 371/1, 367/1, 496/2 रकबा क्रमशः 0.158, 10.218, 1.360, 0.178, 1.417 हेक्टेयर भूमि चारागाह मद में दर्ज है।

(3)– दिनांक 14–04–2017 को आयोजित ग्राम पंचायत लालावाड़ी की बैठक में, ग्राम लालावाड़ी स्थित खसरा नंबर 547, 496/2, 491/1, 371/1 367/1 को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(4)– मौजा कोयलारी का मकबूजा रकबा 581.038 हेक्टेयर है, एवं ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 138.637 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से न्यूनतम 11.620 हेक्टेयर चरनोई का रकबा ग्राम में उपलब्ध रहना अनिवार्य है। वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है।

(5)– तहसीलदार आमला एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा मौंजा लालावाड़ी तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 547 रकबा 0.158 हेक्टेयर, खसरा नंबर 367/1 रकबा 0.178 हेक्टेयर में से 0.081 हेक्टेयर, खसरा नंबर 496/2 रकबा 1.417 हेक्टेयर में से 0.290 हेक्टेयर, खसरा नंबर 371/1 रकबा 1.360 हेक्टेयर में से 0.425 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 491/1 रकबा 10.218 हेक्टेयर में से 0.100 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– प्रकरण में आबादी घोषित करने के लिए प्रस्तावित खसरा नंबर 547, 491/1, 371/1, 367/1 तथा खसरा नंबर 496/2 वर्तमान राजस्व अभिलेख में चारागाह में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1971–72 में खसरा नंबर 496 एवं 547 हेक्टेयर घॉस मद में दर्ज है तथा खसरा

नंबर 491, 371, 367 छोटे झाड़ का जंगल मद में दर्ज है। अतः खसरा नंबर 491, 371, 367 का मद परिवर्तन किए जाने में वैद्यानिक कठिनाई है।

4— मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी, सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक— 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

5— अतएव प्रकरण की उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति तहसीलदार आमला /अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के प्रतिवेदन व अनुंशसा के आधार पर मौजा लालावाड़ी प.ह.नं. 17 रा. नि. मं. आमला तहसील आमला स्थित खसरा नंबर 547 रकबा 0.158 हेक्टेयर तथा खसरा नंबर 496/2 रकबा 1.417 हेक्टेयर में से 0.290 हेक्टेयर जिसे नक्शे में लालस्याही से चिन्हित किया गया है, को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:— 27/अ—59/2017—18/ 252 बैतूल दिनांक 05/01/18

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) आमला।

2— तहसीलदार आमला ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत लालावाड़ी जनपद पंचायत आमला की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.